

#### अमाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 2014/भाद्र 15, 1936

No. 465]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 2014/BHADRA 15, 1936

# वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 637(अ).—यतः, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 2 जून, 2014 से तेलगांना राज्य का गठन किया गया है:

अतः विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 में आगे और संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :-

- 1. (1) इन नियमों को विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जाएगा।
  - (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 में अनुबंध III की क्रम सं. 7 के स्तभ (3) में "आंध्र प्रदेश," शब्दों के बाद "तेलगाना," शब्द जोडा जाएगा।

[फा. सं. सी. 1/1/2014-एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

नोट :—प्रधान नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 10 फरवरी, 2006 के सा.का.नि. सं. 54(अ) द्वारा प्रकाशित किए थे और इनमें अंतिम संशोधन दिनांक 12 अगस्त, 2013 के सा.का.नि. सं. 540(अ) द्वारा किया गया था।

3518 GI/2014 (1)

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

# (Department of Commerce)

# **NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2014

**G.S.R. 637(E).**—Whereas, the State of Telangana has been formed under Section 3 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014) with effect from 2nd June, 2014;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2014.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in Annexure III, against serial number 7, in column (3), after the words "Andhra Pradesh", the word "Telangana", shall be inserted.

[F. No. C. 1/1/2014-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

**Note**:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended vide number G.S.R. 540(E), dated the 12th August, 2013.